India referred that to the Sarkaria Commission? Has the Government of India referred the provision of the setting up of inter-State Council as laid down in the Constitution? If it is not done, do the Government intend to invoke that particular provision and establish an Inter-State Council even before the award of Sarkaria Commission is available?

SHRI BUTA SINGH: Madam, this will be entering into various minute details of various issues which are covered by the terms of reference which I spelt out in the beginning itself. It will be premature for us to give our views on these issues. All the parties have given their views on these issues. Therefore, now, it is for the Commision to spell out as to what is in the best interests of the nation as a whole.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Have you expressed your views on these issues?

SHRI BUTA SINGH: The issues which have been covered by the terms of reference have been dealt with by the Central Government, all the State Governments, political parties and various other people who are interested in this relationship between the Centre and the States for the smooth functioning of the system.

Air pollution in Delhi

*2. SHRI SURESH PACHOURI:†
SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of air pollution in Delhi due to fly-ash coal dust, lead, carbon monoxide, sulphur dioxide and other toxic gases from the Indraprastha and Badarpur Power Stations, stone crushers and from the exhausts of vehicles; and

(b) if so, what steps the Central Pollution Control Board has taken so far in this regard?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Suresh Pachouri.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BHAJAN LAL): (a) Yes, Sir.

(b) The Thermal Power Stations have been directed to install high efficiency electrostatic precipitators. The Delhi Administration has been advised to shift the stone crushers situated in non-conforming area. For vehicles, emission limits for exhausts have been evolved from enforcement through the Transport Directorate of Delhi Administration.

श्री सुरेश पचौरी : उपसभापति महोदया, दिल्ली में कुछ ऐसी इकाइयां हैं जिनके लिए कनसेन्ट दी गई है और यह घनी आबादी वाले इलाकों में हैं जिन्हें नान-कनफॉर्मिंग अर्थात् अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है । यह इकाइयां विषैले अथवा आंशिक तौर पर विषैले रसायनों का उत्पादन कर रही हैं । अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार सल्फर डाइ-आक्साइड की मात्रा प्रति घन मीटर वायु में 60 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिये । परन्तु यहां एक ऐसी इंडस्ट्री श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स है जिसमें कि यह मात्रा अधिक पाई गई है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को हटाने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किये गये हैं और इन्हें कब तक हटा दिया जाएगा ? साथ ही इन इकाइयों के प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां यहां के आसपास के रहने वाले लोगों को हो रही हैं जैसे कि सांस की बीमारी, खांसी, दमा, टी.बी, आंखों में जलन, तपेदिक आदि बीमारियां हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस दिशा में इन बीमारियों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि दिल्ली में फैक्टरीज की वजह से बड़ा भारी प्रदूषण हो रहा है और सरकार इस पर क्या कदम उठाने जा रही है और इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है । उपसभापति महोदया, आप जानती हैं कि यह फैक्टरीज कोई आज की लगी हुई नहीं है, बहुत

पुरानी लगी हुई है और इनके चलने से प्रदूषण भी काफी हो रहा है। भारत सरकार ने दिल्ली में, तकरीबन 166 फैक्टरीज के खिलाफ केस दायर किये जिनमें से 49 का फैसला भी हो गया है और पिछले तीन महीनों में 102 इन्डस्ट्रीज को बाकायदा हम कोर्ट में ले गये हैं ताकि उन्हें प्रदूषण को रोकने का यंत्र जल्दी से जल्दी लगाना पड़े और वह उन्हें लगाना पड़ेगा। उन्होंने, तकरीबन 500 इंडस्ट्रीज ने यह अंडरटेकिन्ग भी दी है। इसके लिए हमें 6 महीने से ले कर दो साल का टाइम देना पड़ता है। अगर हम किसी फैक्टरी के मालिक से यह कहें कि आज शाम तक आप इसका इलाज कर दो तो यह नामुमकिन है। (व्यवधान) टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा। ऐसा है कि हम खुद तो सजा नहीं दे सकते या जुर्माना नहीं ले सकते कोर्ट में जाना पड़ता है। तो हम ने तकरीबन 500 इंडस्ट्रीज को तलाश कर के उन से अंडरटेकिंग ली है कि वे एक समयबध्द कार्यक्रम के अनुसार वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट या जो धुआं निकलता है उसका इलाज जल्दी से जल्दी करें ताकि दिल्ली का प्रदूषण रोका जा सके। जहां तक बीमारी का ताल्लुक है, जो लोग पास रहते हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं, उपाध्यक्ष महोदया, यह ठीक बात है कि गंदा पानी निकलेगा, धुआं निकलेगा, गर्द जाएगा, धूल जायेगी तो जरूर उससे बीमारी फैलती है। उस बीमारी का इलाज करना तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है लेकिन जहां तक प्रदूषण को रोकने का ताल्लुक है, वह हमारा काम है, उसको हम जरूर रोकेंगे और जब वह रुक जायगा बीमारी तो तब दूर होगी जब प्रदूषण से मुक्ति दिलायी जायेगी।

श्री सुरेश पंचौरी : माननीया उपसभापति महोदया, अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर के दूसरे भाग में यह बताया कि दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय द्वारा एमिशन लिमिट्स फार एग्जास्टस लेड की गयी है। दिल्ली में इस समय लगभग 10 लाख पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं। प्रतिवर्ष उनमें लगभग 85 हजार की वृद्धि हो रही है। वाहनों से निकलने वाली गैसें, जैसे---कार्बन मोनोआक्साइड, हाइड्रो कार्बन नाइट्रोजन आक्साइड, सल्फर डाइ-आक्साइड दिल्ली के एक तिहाई भाग में प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही इन वाहनों से शोर-प्रदूषण भी होता है नायज पाल्यूशन। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन वाहनों की बढ़ती हुई संख्या को मद्देनजर रखते हुए प्रदूषण-रहित बिजली से चलने वाली वाहनों का प्रयोग बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, हमने तजुर्बे के तौर पर दिल्ली में 200 बसें बैटरी से चालू की हैं ताकि उससे धुआं न आये, धुआं न निकले। लेकिन अभी तक वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हैं। कामयाब इसलिए नहीं हुई कि एक तो उनकी स्पीड बहुत कम है, ब्रेकडाउन हो जाता है और जो बैटरी रहती है, वे बैटरी ज्यादा से ज्यादा पांच या छह घन्टे काम करती है और बाद में दुबारा फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। इसको हम टेक्नीकली दिखवा रहे हैं ताकि कोई ऐसी बैटरी आ जाय, जो कम से कम एक हफ्ता तो चल जाय, जिससे इतवार के दिन उसको चार्ज कर दें या इतवार के दिन उसको बदल दें। इसके लिए कुछ करने जा रहे हैं। जहां तक गर्द का, धुंए के कणों का ताल्लुक है, मैं बताना चाहता हूं महोदया, आपकी मार्फत माननीय सदन को, कि हिन्दुस्तान के मुकाबले में दूसरे देशों में कहीं ज्यादा प्रदूषण है। जहां तक अमरीका वालों ने जो नार्मस निर्धारित किए हैं, उपाध्यक्ष महोदया, उससे सिवाय एक बात को छोड़कर गर्द या धुंए के कण हिन्दुस्तान में कुछ ज्यादा हैं, यहां सरदी में 150 से 200 तक रहते हैं और गरमी में 350 से 500 तक रहते हैं, जो कि रहने चाहिएं 100 से 200 तक। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अमरीका में यह 75 है, . . . (व्यवधान) . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप अपने देश की बात करें . . . (व्यवधान) . . .

श्री भजन लाल : मैं अपने देश का मुकाबला कर रहा हूं दूसरे देशों से । बाकी देशों के मुकाबले में हिन्दुस्तान में जैसे सल्फर डाइ आक्साइड से होना चाहिए 80, जो कि 30 है । दूसरा, जो नाइट्रोजन से होता है वह 80 और 30 है और अमरीका में 100 के करीब है । मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि धूल और गर्द के कण जो हैं, वे हिन्दुस्तान में ज्यादा हैं दूसरे देशों के मुकाबले में । इसकी रोकथाम के लिए हमारी भरसक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो धुआं निकलता है, चाहे वह सीमेन्ट फैक्टरी का है, चाहे वह थर्मल पावर स्टेशन का है, चाहे दूसरी इंडस्ट्री का है, उसको रोका जाय और उनकी रोकथाम के लिए सरकार पूरी कार्यवाही कर रही है । अब बहुत से बड़े-बड़े उद्योग हैं, उनसे हमने अण्डरटेकिंग ली है कि वह दो साल के अन्दर बड़े से बड़ा उद्योग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या धूंए का प्लांट या गर्द का प्लांट, गैस का उपाय । ये सारी बातें आप देखेंगे, 1988 तक हम कोशिश करेंगे कि हिन्दुस्तान में इस बीमारी को यदि इस प्रदूषण को रोका जाय ।

SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Madam, after framing rules under the Environment Protection Act, it was expected that Government would also provide for compulsory insurance of liability of units causing hazards of pollution. I understand that a study group has been constituted to examine this aspect. I would like to know whether the group has completed its work and made any recommendations, interim or final, and if so, what is Government's view and when the Government proposes to make provision in the rules?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, आपको याद होगा कि पिछले सेशन में हमने इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाया है और 19 नवंबर, 1986 से हमने उसको लागू किया है । इस के रूल्स वगैरह बनकर तैयार हो गए हैं ।

जहां तक बाडी का ताल्लुक है बाडी अपना काम ठीक तरीके से कर रही है । लेकिन ऐसा कोई जादू का डंडा नहीं है कि एक मिनट में सारी बातों हो जाए, उसमें समय लगता है । लेकिन कोशिश हमारी यह है कि जल्दी से जल्दी यह प्रदूषण मुल्क से दूर हो और जो लोग प्रदूषण कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार पूरी कार्यवाही कर रही है चाहे वे सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं ।

SHREMATI SUDHA VIJAY JOSHI: I have asked about insurance liability, whether the report of the Committee has come or not.

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, आप जानती है* कि यह अध्ययन दल अपनी कार्यवाही करते हैं, रिपोर्ट सरकार के पास भेजते हैं और सरकार उस पर कार्यवाही करती है । हमने इनमें से 20 बड़े-बड़े उद्योग भिन्न भिन्न किस्म के छांटे हैं जिनसे प्रदूषण ज्यादा होता है या जिनके पानी को पीकर जानवर मर जाते हैं । . . . . (**व्यवधान**)

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: What about political pollution?

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: His contribution is great in that.

श्री शंकर सिंह वाघेला : उपसभापति महोदया, दिल्ली की ही वायु प्रदूषण की बात नहीं है, आप उसको दिल्ली तक ही सीमित न रखिए । आप हरियाणा से आए हैं तो आप कहेंगे कि पोलिटिकल पाल्यूशन में हरियाणा दिल्ली से आगे है । मैं यह कह रहा था कि दिल्ली देश का कैपिटल होगा लेकिन प्रदूषण में वह देश का कैपिटल नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश का वह कौन सा नसीबदार शहर है जिसमें सबसे ज्यादा वायु का प्रदूषण होता है, मैं उसका नाम जानना चाहता हूं ।

दूसरे, जो सबसे ज्यादा पाल्यूशन व्हीकिल्स से होता है जिसका डाइरेक्ट एफेक्ट नागरिकों पर होता है जिसमें मिट्टी के तेल की मिलावट होती है जो हमको जल्दी से मिट्टी में मिला देती है, उसको रोकने के लिए आपके पास कौन सी मशीनरी है ?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, जहां तक पोलिटिकल पाल्यूशन का ताल्लुक है जो इन्होंने पूछा, वह तो आजकल ज्यादातर चर्चा का विषय लोकदल और बी.जे.पी. का ही है । सारा पोलिटिकल पाल्यूशन बी.जे.पी. के सहयोग से लोकदल का है क्योंकि यह उनकी सहयोगी पार्टी है । ...(**व्यवधान**)...

श्री राम अवधेश सिंह : कांग्रेस पार्टी को कैंसर हो गया है, इसका आपरेशन होना चाहिए । ...(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now there should not be any noise pollution in the House.

श्री भजन लाल : महोदया, इन्होंने पूछा कि पोलिटिकल पाल्यूशन हो रहा है, इसलिए मैंने बताया ।

जहां तक ह्वीकिल्स का ताल्लुक है, उसके लिए हमने बाकायदा नार्म्स फिक्स किए हैं कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए इतना परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए । इसी तरह से पेट्रोल की गाड़ियों के भी नार्म निर्धारित किये हैं । पेट्रोल से चलने वाली जो मशीनरी है उनके नार्म्स भी बना दिये गये हैं कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए । इसके लिए बकायदा हमने यंत्र रखे हुए हैं । पेट्रोल पम्पस और डिपो में भी यह रख कर कहा गया है कि इसको चैक करें और अगर इससे ज्यादा है तो उस के खिलाफ कार्यवाही करें । इस के लिए प्रदेशों को भी लिखा है, दिल्ली प्रशासन को भी लिखा है कि इस को चैक करें और कोई ज्यादा रखता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ।

लेकिन आप जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है । बाहर से भी बहुत से ट्रक आते हैं, बसें आती हैं, कारें आती हैं और उनसे धुआं निकलता है । लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा । अगर एकदम कड़ाई करेंगे तो आप ही लोग हाउस में शोर मचायेंगे कि आप कारों को, ट्रकों को शहरों में घुसने नहीं देते । हम चाहते हैं कि इसका इन्तजाम ठीक तरीके से हो । इसके लिए सरकार पूरी तरह से जागरूक है और इसमें हम कार्यवाही करने जा रहे हैं । रिजल्ट आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा । आप देखेंगे कि दो साल के अंदर-अंदर हमारे देश से पाल्यूशन काफी हद तक दूर हो जायेगा । हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : नम्बर एक पर कौन से शहर हैं ?

श्री भजन लाल : आप जानते हैं दिल्ली में है, बम्बई में है, कलकत्ता में है, ये महानगर हैं ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मंत्री जी वजा फर्मा रहे हैं कि जब भी कोई भला काम करना चाहते हैं तो उसके बीच में कानून आ जाता है और देरी हो जाती है । वह प्रदूषण को दूर करना चाहते हैं लेकिन कानून की वजह से देरी हो रही है यह बात समझ में आती है । लेकिन माननीय मंत्री जी बड़ा रेपुटेशन अपने साथ लेकर आये हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश की तो उन्होंने कानून की परवाह नहीं की । (**व्यवधान**) यह मैं उन की तारीफ में कह रहा हूं । (**व्यवधान**) प्रदूषण को आप दूर करना चाहते हैं । मेरा प्रश्न यह है कि आप प्रदूषण को दूर करना चाहते हैं, यह अच्छा काम है और इससे दिल्ली वालों को राहत मिलेगी तो कम से कम उन इंडस्ट्रीज को जिन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत रहती है और दिल्ली प्रशासन हर साल लाइसेंस दे देता है तो क्या आप दिल्ली प्रशासन पर इस बात का दबाव डालेंगे कि वे लाइसेंस न दें, वे अपना काम न कर सकें ?

श्री भजन लाल : साल्वे जी ने बहुत ठीक बात कही है । यह ठीक बात है कि दिल्ली वालों को हमने कहा भी है । लेकिन जो इंडस्ट्रीज पहले से लगी हुई हैं, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से या 100 साल से वे एक महीने में नहीं उठ सकती हैं । एक मिनट में न ही उस का कोई इंतजाम हो सकता है । समय इसमें लगता ही है । मिसाल के तौर पर सीमेंट फैक्टरी कितना धुआं निकालती है । अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगायेंगे तो तीन करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक खर्च उसमें आ जाता है । और उस को लगाने में समय भी लगता है ।

जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है दिल्ली में एक समस्या और बड़ी भयंकर है। बाहर दूसरे प्रांतों में हर वक्त बिजली नहीं रहती। कभी 6 घंटे आती है तो कभी 8 घंटे आती है और दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहती है तो 24 घंटे बिजली रहने की वजह से लोगों ने अपने घरों में इंडस्ट्री लगा रखी है। वह क्या लिखते हैं कि हमने एयर कंडीशन चलाना है, हमने मोटर से पानी उठाना है। इस बहाने से कानेक्शन लेकर उद्योग चलाते हैं। हमने दिल्ली प्रशासन को कहा है कि वे इसको चैक करें और जिन लोगों ने इस तरह के गलत कानेक्शन ले रखे हैं उन के खिलाफ कार्यवाही करें ताकि प्रदूषण ज्यादा न फैले। इसकी रोकथाम के लिए सरकार कदम उठा रही है। अभी पिछले साल 19 नवम्बर को कानून पास करके सख्ती से कार्यवाही करने का काम हाथ में लिया है। किसी को भी सेव करने का सवाल नहीं है।

जहां तक लाइसेंस का ताल्लुक है नयी कोई फैक्टरी लगेगी देश के अन्दर तो पहले बकायदा उन को नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट लेना पड़ेगा कि प्रदूषण को रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट उसके साथ लगायेंगे तभी उन को इंडस्ट्री चालू करने की परमिशन दी जायेगी।

श्री जेड. आर. अन्सारी : मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूं। हमारे साल्वे साहब ने अभी एक कम्प्लीमेंट पेश किया है। ...(व्यवधान)।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: You are not a partner in that.

श्री जेड. आर. अन्सारी : मेरा ख्याल है कि तालीमे इल्मी के जमाने में आपने भी यह पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है, उसी को मैं यहां पढ़ देता हूं।

"For laws and rules, let fools contest. Whatever is best administered is best."

Top positions lying vacant in NTC

*3. SHRI VIRENDRA VERMA:†

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Textile Corporation has been facing management crisis for quite some time past and that, apart from the top positions lying vacant in its four subsidiaries, the holding company itself has been facing exodus of Directors;

(b) if so, since when the top positions in the four subsidiaries of the NTC have been lying vacant and the reasons for not filling up the vacancies;

(c) how many Directors have since left the holding company and the reasons therefor; and

(d) what is its overall impact on the efficient functioning of the NTC and what steps have been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There has been no exodus of Directors but there has been some difficulties in getting suitable persons for the top positions in the NTC.

(b) At present there are vacancies of Chairman-cum-Managing Directors in four subsidiaries of NTC as follows:—

Name of Subsidiary	Date from which post lying vacant
1	2
NTC (Madhya Pradesh), Indore	25-12-1985
NTC (Uttar Pradesh), Kanpur	29-11-1985

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Virendra Verma.